उ0 प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी

चतुर्थ तल, ए-ब्लाक, पिकअप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष: 0522-2720300 फैक्स: 0522-2721135 वेबसाइट: www.upsacs.in

ई-निविदा सूचना

उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखनऊ द्वारा वेबसाइट http//:etender.up.nic.in के माध्यम से निम्न विवरणानुसार आनलाइन ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है-

ई-निविदा सन्दर्भ	कार्य विवरण	निविदा डाउनलोड करने की आरम्भ तिथि	प्री-बिड बैठक तिथि एवं समय	निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	ई-धरोहर धनराशि रु0 में
UPSACS/Admin/ Rented Taxi/ 2017-18	सोसाइटी में टैक्सी वाहन सेवाओं हेतु	28 जुलाई, 2018	01 अगस्त, 2018 अपराह्न 1.00 बजे	18 अगस्त, 2018 सायं 5.00 बजे तक	10,000/-

उपरोक्त ई-निविदाओं का विस्तृत विवरण वेबसाइट http//:etender.up.nic.in एवं www.upsacs.in पर उपलब्ध है। ई-निविदा प्रपत्र में परिवर्तन/संशोधन के लिए निविदादाता केवल वेबसाइटों का अवलोकन करते रहें, अलग से कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जाएगी। निविदा प्रक्रिया/सभी निविदा/निविदाएं बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार सोसाइटी को होगा।

परियोजना निदेशक

Ad Size_8x4

27/07/18

उ0 प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी

चतुर्थ तल, ए–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

दूरभाषः 0522–2720360 फैक्सः 0522–2721135

www.upsacs.in

File Ref No: UPSACS/Admin/Rented Taxi/2017-18 दिनांकः 28.07.2018

"ई–निविदा सूचना"

उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी में शासकीय कार्यो के प्रयोगार्थ एक वर्ष की अवधि के लिए मासिक तथा समय–समय पर आवश्यकतानुसार किराए की ए0सी0/नॉन ए0सी0 टैक्सी वाहन उपलब्ध कराने हेतु टैक्सी वाहन प्रदाता एजेन्सी/फर्म का चयन किया जाना है।

लखनऊ स्थित अनुभवी, प्रतिष्ठित एवं अधिकृत सेवा प्रदाताओं से दो भागों में भाग–01 (तकनीकी बिड), भाग–02 (वित्तीय बिड) ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ई–निविदा का विस्तृत दिशा–निर्देश एवं सेवा–शर्ते उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट http://etender.up.nic.in एवं सोसाइटी की वेबसाइट www.upsacs.in पर उपलब्ध हैं। ई–निविदा डाउनलोड/अपलोड एवं अन्य विवरण निम्न तालिकानुसार हैः–

Bid Documents Published/download start date	July 28, 2018
Bid Document Download/Sale End Date	Aug 18, 2018 up to 03.00 P.M.
Bid Uploading/Submission Start Date	July 28, 2018
Bid Submission End Date & Time	Aug 18, 2018 (up to 05:00 P.M.)
Technical Bid Opening Date & Time	Aug 20, 2018 (04:00 P.M.)
Pre-bid Meeting	Aug 01, 2018 (01.00 P.M.)
Opening of Financial Bids	To be intimated.
Address for Communication, pre-bid meeting & Bid Opening	**Project Director,** UP State AIDS Control Society, 4th Floor, A-Block, PICUP Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 Phone No:0522-2720360

उपरोक्त तालिकानुसार डाउनलोड/अपलोड की गयी पूर्ण ई–निविदाएं फर्म के प्रतिनिधियों की उपस्थिति/अनुपस्थिति में खोली जाएंगी। निविदादाताओं द्वारा ई–टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलखों एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (ईएमडी) सम्बन्धी एफ.डी.आर./बैंक गारण्टी की स्कैन प्रति अथवा प्रतिभूति प्रमाण–पत्र विभाग के पक्ष में बन्धक कराने पर, प्राप्त ट्रान्जेक्शन नं0 को निविदा के समय अपलोड किया जाएगा, तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने अर्थात निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से सोसाइटी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (ईएमडी) सम्बन्धित एफ.डी.आर./बैंक गारण्टी की स्कैन प्रति अथवा प्रतिभूति प्रमाण–पत्र मूल रूप से प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदादाता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी तथा उसका पंजीकरण निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जाएगी। आफलाइन निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जाएगी। इस ई–निविदा प्रक्रिया/निविदा/ओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सोसाइटी को होगा।

परियोजना निदेशक
उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखनऊ

उ0 प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी

चतुर्थ तल, ए–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

दूरभाषः 0522–2720360 फैक्सः 0522–2721135

www.upsacs.in

(Part-I)

तकनीकी बिड–अर्हता सूची

सोसाइटी में किराए पर टैक्सी वाहन सेवाओं के लिए तकनीकी अर्हता सूचीः–

क्र.	विवरण	पेज संख्या
1.	समस्त अभिलेखों सहित हस्ताक्षरित/मुहर युक्त पी0डी0एफ0 कापी प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल http://etender.up.nic.in पर अपलोड करना अनिवार्य है।	
2.	फर्म का संबंधित प्राधिकरण के साथ पंजीकरण की सत्यापित प्रति तथा फर्म का नाम, व्यवसाय/कार्यालय का पता एवं दूरभाष संख्या व मोबाइल संख्या भी अलग पृष्ठ पर सत्यापित कर संलग्न करे।	
3.	फर्म/एजेन्सी का कार्यालय लखनऊ नगर निगम सीमा के अन्दर होना चाहिए। जिसका साक्ष्य निविदा के साथ अपलोड करना है (बिजली/पानी/टेलीफोन बिल अथवा किराए का अनुबन्ध पत्र)।	
4.	जी0एस0टी0 पंजीकरण की एक प्रति	
	फर्म का आयकर पंजीकरण की एक प्रति	
	निविदादाता फर्म के पंजीकरण (अर्टिकल आफ एसोशिएशन/साझेदारी डीड/प्रोप्राइटरशिप) प्रमाण–पत्र निविदा के साथ अपलोड करना होगा।	
5.	फर्म का रू0 40.00 लाख प्रतिवर्ष के टर्नओवर का तीन वर्षों (2014-15, 2015-16, 2016-17) का पूर्ण विवरण (बैलेन्स सीट में से सी0ए0 द्वारा जारी केवल टर्नओवर की स्वप्रमाणित कापी अपलोड करना अनिवार्य है) एवं जी0एस0टी0 रिटर्न की एक प्रति अपलोड करना होगा।	
6.	फर्म के पास पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र/अर्द्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि के साथ कार्य करने का अनुभव होना चाहिए (प्रतिवर्ष केवल 02 फर्मों का अर्थात कुल 06 फर्मों से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र (कार्यादेश की प्रति/अनुबन्ध पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।)	
7.	फर्म के पास पर्याप्त संख्या में (कम से कम 6 वाहन निविदादाता/फर्म के नाम पंजीकृत हों) पंजीकृत वाहन होने चाहिए, जिनका पंजीकरण विगत तीन वर्ष के अन्दर का हो तथा वाहन 60,000 कि0मी0 से अधिक न चला हो। (वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न की जाए)	
8.	निविदा शुल्क, **उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखनऊ** के पक्ष में रू 500/– {रू0 पॉच सौ मात्र} का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चेक की स्केन कापी अपलोड करना अनिवार्य है।	
9.	ई0एम0डी0– (**उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, लखनऊ** के पक्ष में) राष्ट्रीकृत/वाणिज्यक बैंक रू0 10,000/– {रू0 दस हजार मात्र} का एफ.डी.आर./बैंक गारण्टी (छः माह की वैधता अवधि) की स्केन कापी अपलोड करना अनिवार्य है।	
10.	फर्म के लेटर हेड पर विगत तीन वर्षों/वर्तमान में अयोग्य घोषित (काली सूची) न किये जाने का घोषणा–पत्र की स्केन कापी ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।	

नोटः प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल http://etender.up.nic.in पर अपलोड की गयी निविदा एवं अपेक्षित साक्ष्य पूर्णतया स्पष्ट एवं पठनीय होना अनिवार्य है। अपलोडेड साक्ष्य/निविदा स्पष्ट एवं पठनीय न होने की दशा में फर्म की निविदा/साक्ष्यों पर विचार नहीं किया जाएगा एवं निविदा निरस्त मानी जाएगी।

घोषणा

मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस निविदा प्रपत्र का पूर्ण अध्ययन करने के उपरान्त मैं अपने/फर्म का वांछित प्रपत्र संलग्न कर रहा हूँ एवं बिना किसी शर्त के आवंटित कार्य करने के लिए बाध्य रहूँगा।

निविदादाता के नामः.. निविदादाता के हस्ताक्षर

पदः...

पताः... मुहर

दिनांकः.................................

"ई–निविदा सूचना/सेवा–शर्तें"

उ0 प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी (UPSACS), उ0 प्र0 राज्य सरकार की एक पंजीकृत संस्था है, जो प्रदेश के विभिन्न जनपदों में राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम को संचालित कर रही है।

उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी में शासकीय कार्यो के प्रयोगार्थ एक वर्ष की अवधि के लिए मासिक तथा समय–समय पर आवश्यकतानुसार किराए की ए0सी0/नॉन ए0सी0 टैक्सी वाहन उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न अनुभवी एवं अधिकृत सेवा प्रदाता फर्मों से ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ई–निविदा की सेवा–शर्तें एवं अन्य विवरण निम्नवत हैः–

1. निविदा हेतु न्यूनतम् अर्हताएँः–

i. फर्म पंजीकरण संबंधित समस्त आवश्यक अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है। (फर्म के समस्त लीगल प्रपत्र जैसे– अर्टिकल आफ एसोशिएशन/साझेदारी डीड/प्रोपराटरशिप, जी0एस0टी0, पैन आदि समस्त अभिलेखों की सत्यापित/स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना होगा)

ii. फर्म का न्यूनतम् रू0 40.00 लाख प्रतिवर्ष के टर्नओवर का तीन वर्षो (2014-15, 2015-16, 2016-17) का पूर्ण विवरण (बैलेन्स सीट में से सी0ए0 द्वारा जारी केवल टर्नओवर की प्रमाणित कापी अपलोड करना अनिवार्य है)

iii. फर्म के पास पर्याप्त संख्या में (कम से कम 6 वाहन निविदादाता/फर्म के नाम पंजीकृत हों) पंजीकृत वाहन होने चाहिए, जिनका पंजीकरण विगत तीन वर्ष के अन्दर का हो तथा वाहन 60,000 कि0मी0 से अधिक न चला हो। (वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न की जाए)।

iv. फर्म के पास पिछले तीन वित्त वर्षो के दौरान सरकारी क्षेत्र/अर्द्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि के साथ कार्य करने का अनुभव होना चाहिए (प्रतिवर्ष केवल 02 फर्मों का अर्थात कुल 06 फर्मों से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र (कार्यादेश की प्रति/अनुबन्ध पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।)

v. निविदा शुल्क, **उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखनऊ** के पक्ष में रू 500/– {रू0 पाँच सौ मात्र} का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चेक की स्केन कापी अपलोड करना अनिवार्य है।

vi. निविदा के साथ राष्ट्रीकृत/वाणिज्यक बैंक का रू0 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) का एफ.डी.आर./बैंक गारण्टी जो निविदा जमा करने की तिथि से छः माह तक के लिए वैध हो **"उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखनऊ"** के नाम से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य है।

vii. फर्म/एजेन्सी का कार्यालय लखनऊ नगर निगम सीमा के अन्दर होना चाहिए। जिसका साक्ष्य निविदा के साथ अपलोड करना है (बिजली/पानी/टेलीफोन बिल अथवा किराए का अनुबन्ध पत्र)।

सामान्य निर्देशः–

1. निविदादाता द्वारा **तकनीकी बिड (भाग–01)** तथा प्रस्तावित दरें **वित्तीय बिड (भाग–02)** पूर्णतया भरकर समस्त सूचनाओं/संलग्नकों सहित पूर्ण हस्ताक्षरित/मुंहर सम्पूर्ण ई–निविदा की पी0डी0एफ0 कापी उ0प्र0 सरकार की ई–प्रोक्योरमेन्ट वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर अपलोड करना होगा।
2. निविदादाताओं द्वारा ई–टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलखों एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (ई0एम0डी0) सम्बन्धी एफ.डी.आर./बैंक गारण्टी की स्कैन प्रति अथवा प्रतिभूति प्रमाण–पत्र विभाग के पक्ष में बन्धक कराने पर, प्राप्त ट्रान्जेक्शन नं0 को निविदा के समय अपलोड किया जाएगा, तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने अर्थात निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से सोसाइटी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (ईएमडी) सम्बन्धित एफ.डी.आर./बैंक गारण्टी की स्कैन प्रति अथवा प्रतिभूति प्रमाण–पत्र मूल रूप से प्रस्तुत

नहीं किये जाने पर निविदादाता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी तथा उसका पंजीकरण निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जाएगी।

3. निविदा प्रपत्र में परिवर्तन/संशोधन के लिए निविदादाता उक्त वेबसाइटों http://etender.up.nic.in एवं www.upsacs.in का अवलोकन करते रहें, अलग से कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जाएगी। निविदा प्रपत्र शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। तकनीकी एवं वित्तीय बिड अलग–अलग न प्रस्तुत करने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।
4. तकनीकी रूप से अर्ह निविदादाताओं/फर्मों को वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि के बारे में अलग से अवगत कराया जाएगा।
5. केवल उन्ही फर्मो की वित्तीय बिड को खोला जाएगा जो तकनीकी बिड के आधार पर सफल तथा जो सोसाइटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके वाहनों के निरीक्षण के पश्चात सफल होंगे। वित्तीय बिड खोलने से पूर्व फर्म से यह अपेक्षा किये जाने पर वाहनों के पंजीकरण प्रमाण–पत्रों के साथ वाहनों का निरीक्षण सोसाइटी के अधिकारियों से कराना होगा एवं प्रपत्रों को सोसाइटी में जमा करना होगा।
6. उ0प्र0 राज्य एड्स सोसाइटी को प्राप्त हुई निविदा/निविदाओं को पूर्ण/आंशिक रूप से स्वीकार/रद्द करने का अधिकार होगा तथा इस संबंध में परियोजना निदेशक का निर्णय अंतिम/बाध्यकारी होगा।

2. <u>वाहन प्रदाता/फर्म को भुगतान :–</u>

a. फर्म/एजेन्सी को भुगतान हेतु किराये पर ली गई टैक्सी के बिल दो प्रतियों में आगामी माह के पहले सप्ताह में संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षरित यात्रा दैनिकी (logbook)/डयूटी पर्ची/निर्धारित आवश्यक संलग्नकों सहित प्रस्तुत किया जाएगा। फर्म के भुगतान में हुई देरी के किसी भी मामले में कोई अग्रिम या ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। फर्म द्वारा दिए गए बिलों में सभी कर पंजीकरण संख्या मुद्रित होनी चाहिए। भुगतान में नियमानुसार लागू टी.डी.एस. की कटौती की जायेगी।

b. वास्तविक पार्किंग प्रभारों/पथ कर/आगमन कर/यात्रा पर अन्तर–राज्य कर का आदि भुगतान फर्म/ एजेन्सी द्वारा किया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति मूल बिल के साथ उचित रसीदें प्रस्तुत करने पर की जाएगी।

c. मासिक किराए पर लिये गये वाहन को संबंधित अधिकारी द्वारा स्थानीय यात्रा के साथ–साथ बाहर स्टेशन की यात्रा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मासिक आधार पर लिये गये वाहन के लिए लखनऊ से बाहर भ्रमण में केवल नाइट चार्ज (Night Charges) अतिरिक्त देय होंगे।

3. <u>नियम एवं शर्तें:–</u>

a) तकनीकी बिड के साथ निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क एवं ई0एम0डी0 राशि अपलोड करना अनिवार्य है। टेण्डर अनुमोदित होने पर निविदाकर्ता अपनी दर सूची को वापस लेते/संशोधन करते हैं, या निर्धारित तीन वर्ष के अन्दर पंजीकृत वाहन नहीं उपलब्ध कराते हैं तो निविदाकार को बिना कोई कारण बताए बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जाएगी तथा काली सूची में डालने एवं भविष्य में उसकी कोई भी निविदा स्वीकार न किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकती है। निविदाकर्ता का इस मामले में कोई दावा नहीं माना जाएगा। असफल निविदाकर्ता की बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) को टेण्डर प्रकिया पूरी होने के पश्चात वापस लौटा दी जाएगी।

b) सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर किसी राष्ट्रीकृत/वाणिज्यक बैंक से एफडीआर के रूप में निष्पादित जमानत राशि जो अनुबन्ध समाप्ति के 60 दिन बाद तक वैध हो सोसाइटी में जमा करनी होगी। यह जमानत राशि पूर्व वर्ष में अनुमोदित/स्वीकृत दर पर अनुमानित वार्षिक मूल्य का 8% (रू 3,20,000 रूपये तीन लाख बीस हजार मात्र) होगी, जो कि एफ.डी.आर. के रूप में <u>''उ0प्र0</u>

राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखनऊ'' के पक्ष में देय होगी। एक से अधिक फर्मों की दरें स्वीकृत होने की दशा में स्वीकृत वाहन हेतु वार्षिक अनुबन्ध मूल्य के आधार पर 8% प्रत्येक फर्म द्वारा जमानत राशि प्रस्तुत की जाएगी। निविदाकार द्वारा इस निविदा/कार्यादेश के किसी नियम एवं शर्त के उल्लंघन करने पर या अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी प्रदान की जाने वाली सेवा निकृष्ट/त्रुटिपूर्ण/असंतोषजनक हाने पर निष्पादन जमानत राशि को जब्त करते हुए कार्यादेश को रद्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में सोसाइटी का निर्णय फर्म के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। दर अनुबन्ध के संतोषजनक पूरा होने के बाद जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।

c) फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदा/बिड 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी। निविदा में दी गयी दरों में से जो दरें स्वीकृत की जायेंगी वे दरें निविदा स्वीकृति होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होंगी।

d) सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर रूपये 100/– के नान–जूडीशियल स्टांप पेपर पर फर्म के अधिकृत अधिकारी का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, पूर्ण पता, पद एवं बिना किसी शर्त के कार्यादेश की सभी नियम एवं शर्तों को स्वीकार करने का स्पष्ट अंकन करते हुए नोटरी द्वारा निष्पादित एग्रीमेन्ट प्रपत्र सोसाइटी में प्रस्तुत करना होगा।

e) जमानत राशि एवं स्टांप पेपर पर एग्रीमेन्ट प्रपत्र निर्धारित तिथि तक जमा न करने पर कार्यादेश को रद्द करते हुए अर्नेस्ट मनी को जब्त किया जा सकता है।

f) टैक्सी वाहन बहुत अच्छी संचालन स्थिति में हों, जो तीन वर्ष के अन्दर के पंजीकृत एवं 60 हजार किमी0 से अधिक न चले हों उनका अनुबन्ध अवधि के दौरान उचित प्रकार से रखरखाव किया जाए। प्रदान किया जाने वाला टैक्सी वाहन तकनीकी रूप से उत्तम दशा में हों तथा उसका बाहरी भाग/साज सामान की रूप सज्जा काफी अच्छी हो। अनुबन्ध अवधि के दौरान वाहन बदले जाने की स्थिति में भी–''तीन वर्ष के अन्दर पंजीकृत एवं 60 हजार किमी0 से अधिक न चले हों'' की शर्त लागू होगी।

g) फर्म को टैक्सी वाहन आवश्यकतानुसार एक घण्टे के अन्दर उपलब्ध कराना होगा।

h) फर्म को टैक्सी वाहन खराब होने की स्थिति में रिपोर्ट करने के एक घंटे के अन्दर दूसरा तैयार टैक्सी वाहन उपलब्ध कराना होगा। यात्रा पूरी करने के लिए वाहन खराब होने के बिन्दु से टैक्सी वाहन प्रभार फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। टैक्सी के खराब होने पर मरम्मत के सभी खर्च फर्म द्वारा वहन किए जाएंगे।

i) मासिक आधार पर किराये पर लिये गये टैक्सी वाहन के प्रचालन एवं रख–रखाव पर, मरम्मत/शोधन, वाहन चालक का वेतन, पेट्रोल/डीजल खर्च या संचालन में कई अन्य प्रासंगिक खर्चे फर्म द्वारा वहन किए जाएंगे।

j) मासिक रूप से किराये पर लिए जाने वाले वाहन के सम्बन्ध में यह अपेक्षा की जाती है कि यह सोमवार से शनिवार तक तथा आवश्यकतानुसार शासकीय अवकाश के दिनों में भी चयनित फर्म को वाहन उपलब्ध कराना होगा। मासिक रूप से अनुबन्धित वाहन को किसी अन्य विभाग के कार्य/स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाएगा।

k) सभी प्रकार के वाहनों का टैक्सी कोटे में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। फर्म द्वारा वाहन का पूर्ण रूप से बीमा होना चाहिए। विधिक विवाद, दुर्घटना इत्यादि के कारण उत्पन्न होने वाले सभी दायित्वों का फर्म द्वारा वहन किया जाएंगा। फर्म द्वारा प्रदान किए गये वाहन चालक को प्रादेशीय राजधानी क्षेत्र लखनऊ का मौजूदा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के आधार पर पारिश्रमिक भुगतान किया जाना चाहिए। फर्म द्वारा सोसाइटी में सम्बद्ध किये गये मासिक/दैनिक वाहन पर होने वाले किसी प्रकार के चालान, नुकसान क्षति या दुर्घटना या टैक्सी चालक/व्यक्ति की चोट के लिए भी सोसाइटी जिम्मेदार नहीं होगी तथा ऐसे किसी भी मामले में सोसाइटी का कोई दायित्व नहीं होगा।

l) टैक्सी वाहन के लिए आकस्मिकता पड़ने पर सम्पर्क करने हेतु फर्म के मालिक अथवा उसके प्रतिनिधि को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यालय दूरभाष/मोबाइल नं0 पर उपलब्ध रहना होगा।

m) फर्म द्वारा वाहन चालकों के पूर्ववर्ती चरित्र पूर्ण रूप से प्रमाणित कराया जाए तथा उनका विवरण (नाम, पता, दूरभाष नं0, फोटो, वाहन की अनुज्ञप्ति की प्रति इत्यादि) सोसाइटी को उपलब्ध कराया जाएगा।

n) सफल, निविदाकर्ता को इस विभाग में परिनियोजित किए गए प्रस्तावित वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र, बीमा कागजात, प्रदूषण नियंत्रण, परमिट इत्यादि की फोटो प्रतियां पांच दिनों के अन्दर प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) को जब्त कर लिया जाएगा।

o) वाहन चालक के साथ वाहन को सोसाइटी के अधिकार में रखा जाएगा। सोसाइटी किराए पर लिए गए वाहन का इस्तेमाल पदाधिकारियों, सामग्री इत्यादि लानें अर्थात अपनी आवश्यकता के आधार पर किसी भी तरह उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगी तथा फर्म को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं होगी।

p) फर्म/मालिक द्वारा डयूटी के दौरान चालक के आचरण का समय–समय पर उचित निरीक्षण किया जाएगा। चालक को स्थानीय भाषा बोलने में प्रवीण होना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सत्यनिष्ठ के साथ सुसभ्य होना चाहिए, स्वस्थ व्यक्तिगत आदतें होनी चाहिए तथा उसके पास हमेशा एक मोबाइल फोन होना चाहिए। ड्यूटी के दौरान चालक द्वारा एल्कोहल पेय/नशीले पदार्थ/पान/गुटका चबाना/धुम्रपान, संगीत सुनना आदि के निषेध का अनुपालन करना होगा। शिकायत होने पर तत्काल नवीन चालक की व्यवस्था करनी होगी।

q) चालक को समय की पाबंदी, स्वच्छता, आज्ञाकारिता, मुस्तैदी, व्यवहार आदि के संबंध में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शिष्टाचार के नाते चालक को गणमान्य व्यक्तियों के लिए बाहर आकर उनके वाहन में प्रवेश करने एवं छोड़ने के समय दरवाजा खोलना पड़ेगा। फर्म/ एजेन्सी यदि किसी भी समय सोसाइटी द्वारा निर्देशित सेवा प्रदान करने में असफल रहती है तो जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताए चिन्हित वाहन अथवा पूर्ण अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

r) टैक्सी चालक को उत्तर प्रदेश क्षेत्र के मार्गो की पूरी जानकारी होनी चाहिए तथा उसके पास स्वयं का वैध वाहन की अनुज्ञा–पत्र (लाइसेन्स) होना चाहिए। चालक की अज्ञानतावश अथवा जानबूझकर गलत मार्ग से यात्रा की दशा में दूरी बढ़ने के कारण उपलब्ध सबसे छोटे मार्ग के आधार पर भुगतान किया जा सकता है।

s) सोसाइटी के साथ लगाए गए वाहन तथा वाहन चालक को सोसाइटी की पूर्व सहमति के बिना किसी विशेष परिस्थिति के अलावा बदला नहीं जायेगा।

t) फर्म अथवा सोसाइटी लिखित रूप में 60 दिनों की पूर्व में दी गई सूचना के साथ अनुबन्ध को रद्द कर सकते है। फर्म द्वारा सोसाइटी की पूर्व मंजूरी के बिना यदि अनुबन्ध को बीच में समाप्त कर दिया जाता है तो समस्त भुगतान, जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, तथा सम्बन्धित फर्म को काली सूची (blacklist) में किया जा सकता है। सोसाइटी के पास बिना कोई कारण बताए अनुबन्ध को पूर्ण/आंशिक रूप निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

u) सोसाइटी द्वारा प्रारम्भ में 08 ए.सी. टैक्सी वाहन अर्थात 01 उच्चतम श्रेणी–एमयूवी टाइप (इनोवा/ समकक्ष), 01 मध्यम श्रेणी–सेडान टाइप (स्विफ्ट डिजायर/मान्जा/इटियोस/ हाण्डासिटी/सियाज/समकक्ष) तथा 06 हेचबैक टाइप वातानुकूलित इण्डिगो/जेस्ट/समकक्ष वाहन नियमित/मासिक/आवश्यकतानुसार दैनिक आधार पर किराये पर अनुबन्धित किया जाएगा, जिनकी संख्या में आवश्यकतानुसार कमी/अधिकता सम्भावित होगी। न्यूनतम् दर एवं पूर्व में अन्य विभाग में संतोषजनक सेवा प्रदान करने के आधार पर एक अथवा एक से अधिक एजेन्सी को अनुबन्धित किये जाने का अधिकार सोसाइटी के पास सुरक्षित है।

v) जुर्माना की शर्ते इस प्रकार है:–

क्र.	समस्या	जुर्माना
1.	क) 30 मिनट या उससे ज्यादा देर से आना। ख) नहीं आना	क) 100/– रू0 ख) टैक्सी वाहन न उपलब्ध कराने के मामले में सोसाइटी संबंधित अधिकारी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उस दिन के लिए एक टैक्सी वाहन किराए पर ले लेगी जिसका भुगतान अनुबन्धित फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।
2.	वाहन तथा सीट कवर की सफाई न होने पर /वाहन में दुर्गन्ध आने पर	100/– रूपये प्रतिदिन कटौती की जा सकती है।
3.	वातानुकूलक कार्य न करने /ठीक से कार्य न करना	अनुबन्धकर्ता को एक घंटे के अन्दर अन्य वाहन उपलब्ध कराना होगा अन्यथा कार्यालय उस दिन के लिए एक टैक्सी वाहन किराए पर ले सकती है, जिसका भुगतान अनुबन्धित फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।
4.	ठीक से कार्य न करने की पुनरावृत्ति होने/वाहन की स्थिति असंतोषजनक होने पर	वाहन को लौटा दिया जाएगा। एक टैक्सी वाहन किराये पर ली जाएगी जिसका भुगतान अनुबन्धकर्ता को होने वाले भुगतान से समायोजित कर लिया जाएगा, एवं इसके साथ–साथ जब तक उपयुक्त वाहन प्रदान नहीं कर दिया जाता तब तक 100/– रू0 प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जा सकता है।
5.	मासिक आधार पर अनुबन्धित टैक्सी वाहन के अनुरक्षण/ब्रेकडाउन की स्थिति में	फर्म द्वारा अन्य समकक्ष वाहन उपलब्ध कराना होगा तथा उक्त से सम्बन्धित व्यय चयनित एजेन्सी द्वारा देय होगा।

नोटः जुर्माना के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय परियोजना निदेशक, उ0 प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी का होगा।

w) कार्यस्थल बिन्दु सोसाइटी/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समय–समय पर बताए गए स्थान पर होगा तथा किलोमीटर/मील दूरी की गणना सोसाइटी द्वारा वाहन की ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के स्थान से अधिकारी/पदधारी को शाम/रात को अंतिम रूप से छोड़े गए स्थान के आधार पर होगी न कि मोटरखाने (गैराज) या सोसाइटी के अंतिम बिन्दु से। समय की गणना सोसाइटी कार्यालय अथवा संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने के वास्तविक समय से शुरू की जायेगी।

x) प्रत्येक वाहन के लिए चालक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित यात्रा दैनिकी (logbook) (स्थान, समय और किमी0 की संख्या को दर्शाते हुए) अलग–अलग रखी जाएगी तथा प्रतिदिन प्रयोगकर्ता से हस्ताक्षरित कराने की जिम्मेदारी चालक की होगी।

y) फर्म/एजेंसी की प्रदर्शन प्रतिक्रिया (performance) के आधार पर अग्रेतर कार्य विस्तार (पूर्व अनुबन्धित/स्वीकृत दरों एवं सेवा–शर्तों के अन्तर्गत) दिया जा सकता है।

z) किसी भी विवाद की दशा में परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी का फैसला अन्तिम होगा व दोनो/समस्त पक्षों को मान्य होगा। अनुबन्ध के प्रचालन के दौरान उठे किसी विधिक विवाद/मुकदमे का न्यायिक क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।

भवदीय,

(अनुराग गुप्ता)
संयुक्त निदेशक, क्रय

(फर्म के लेटर हेड पर)

निविदादाता द्वारा घोषणा

सम्बन्धित ई–निविदा की समस्त शर्तों का पूर्ण अध्ययन करने के उपरान्त मैं अपने वांछित प्रपत्र संलग्न करने के साथ कार्य के सम्मुख अंकित दर को प्रेषित कर रहा हूँ। ई–निविदा के अनुसार (ई0एम0डी0) धरोहर राशि रू.....................(शब्दों में ....) डीडी / एफडीआर / बैंक गारण्टी (. ....) जो **परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखनऊ** के नाम से बन्धक है, को सम्बन्धित कार्य की निविदा मेरे पक्ष में औपचारिक रूप से स्वीकृत होने पर अनुबन्ध करने की कार्यवाही अपेक्षित समय के अन्दर न करने की दशा में, मेरी उपरोक्त धरोहर धनराशि सोसाइटी द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

दिनांकः...................

निविदादाता के हस्ताक्षर

पूरा नामः...................................

प्रपत्रों के वास्तविक होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अर्नेस्ट मनी छोडकर मेरे द्वारा कुल ....पृष्ठ के अर्हताओं के प्रपत्र लगाये गये हैं जो कि मेरे द्वारा हस्ताक्षरित है तथा वास्तविक हैं। किसी भी प्रपत्र में कोई भी सूचना किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर निविदा शर्तों के अनुसार की गयी कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी।

दिनांकः.........................

निविदादाता के हस्ताक्षरः

निविदादाता का नामः

फर्म का नाम व पता एवं मुहरः

(On Firm Letter Head)

DECLARATION

I/We hereby declare that, my organization have not been banned/de-listed/black listed from business by any PSU or any Ministry. Dept. of GOI/ State Govt. /organization during the present/last three years.

(.....................................)

Seal and Signature of theTenderer

(दरें फर्म के लेटर हेड पर प्रस्तुत की जाएगी)

(Part-II)
वित्तीय बिड

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी
लखनऊ।

विषयः– सोसाइटी के उपयोगार्थ टैक्सी वाहन सेवाओं हेतु वित्तीय बिड का आमंत्रण।

महोदय,

मैं/हम उपर्युक्त वर्णित विषय पर निविदा प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं तथा सोसाइटी के निविदा प्रपत्र सं0 File Ref No: UPSACS/Admin/Rented Taxi/2017-18 में वर्णित नियम एवं शर्तो को एतद द्वारा सहमत/स्वीकार करता हूँ/करते है/अपेक्षित सूचना तथा दर्शाए गई वित्तीय दर निम्न प्रकार हैः–

(Rates in Rs.)

S. No.	Description for Petrol/Disel Taxi including km.	Indigo (AC)/Zest/ Equivalent	Honda City/Verna/Ciaz/ Equivalent	Manza/ Etios/ Equivalent (AC)	Swift Desire/ Equivalent (AC)	Innova/ Equivalent (AC)
1.	On monthly disposal 12 Hrs Per Day (2000 Km., per month)					
2.	Additional Km. exceeding the Max. limit (2000 km) per km per month					
3.	Full day disposal (8 hrs./80 Km.)					
4.	Half day disposal (4 hrs./40 Km.)					
5.	Outstation Run (Running per Km.)					
6.	Night Charges (after 10 P.M. To 6 AM) for local/outstation monthly basis vehile					
7.	Cars taken for Railway/Airport Drop/pickup					
8.	Number of vehicles owned by agency for which Bid/tenders are given					

जी0एस0टी0 की वर्तमान दरः–
*उपरोक्त दरें जी0एस0टी0 रहित हैं। सोसाइटी द्वारा जी0एस0टी0 का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

मुझे/हमे निविदा संबंधित समस्त विवरण प्राप्त हो चुका है। यदि हमारे संगठन/फर्म/संस्था को कार्यादेश से सम्मानित किया जाता है, तो निविदा में उल्लिखित समस्त शर्ते मुझे/हमें स्वीकार्य होगीं तथा समस्त नियम/शर्तो का पालन हमारे द्वारा किया जायेगा। वित्तीय बिड में दिए गए प्रारूप पर दरें प्रस्तुत करना होगा। वित्तीय बिड में दर्शायी गई दर शब्दों और अंको अर्थात दोनों में अंकित हों। ऐसी बिड, जिसके अंकों में उपरिलेखन तथा किसी प्रकार की काट–छाँट की गई हो, स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक कि शुद्धि पर प्रतिहस्ताक्षर न किए गए हो। प्रपत्रों पर फर्म के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर कर मोहर लगाया जाना अनिवार्य है।

भवदीय,

दिनांक–
स्थान–

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं मुहर)